Atal Nagar, the 29th January 2019

NOTIFICATION
No. 02/2019 - State Tax

No. F-10-04/2019/CT/V(03). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (25 of 2018), the State Government hereby appoints the 1st day of February, 2019, as the date on which the provisions of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (25 of 2018), except clause (b) of section 8, section17, section18, clause (a) of section 20 of this Amendment Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2019

अधिसूचना
संख्या 03/2019- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-04/2019/वाक/पांच(04). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) नियम,2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 फरवरी, 2019 की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 2 के शीर्षक में,"संयोजन नियम" शब्दों के स्थान पर,"संयोजनउद्ग्रहण" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के क्रम संख्यांक (3) के सामने की सारणी में,स्तम्भ (3) में "माल" शब्दों के स्थान पर,"माल और सेवा"शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम में नियम 8 में, उप नियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में,"परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर,"परंतु" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"11. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण--

(1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है,निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के संबंध मेंपृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं;